

## राज्यों की राजनीति की उभरती प्रवृत्तियाँ

डॉ० जितेन्द्र कुमार पाण्डेय,

सहायक पोफेसर, श्रीमती इन्दिरा गाँधी गर्वनमेन्ट पी०जी० कॉलेज, लालगंज, मीरजापुर।

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन को "राज्यों की राजनीति" के नाम से जाना जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य राजनीति का विशेष महत्व है क्योंकि "देश के इंच-इंच पर राज्यों का शासन है केन्द्र तो अवधारणात्मक मिथ्या है। जनसाधारण की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान एवं लोक कल्याणकारी कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। राज्यों को राजनीति की शुरुआत स्वतंत्रता के पश्चात् हुई। पचास के दशक में माँग यह थी कि भाषायी आधार को सांस्कृतिक मान्यता मिलनी चाहिए और राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। साठ के दशक में स्थानीय वासियों (धरती-पुत्रों) के लिए आर्थिक लाभ आरक्षित करने पर जोर था, तो अस्सी के दशक में माँगे बढ़कर पूर्ण स्वायत्तता में बदल गयी और कई राज्यों में अलगाववादी आंदोलन शुरु हुआ और अंत में 1990 के दशक में पहचानगत एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की राजनीति प्रारम्भ हुई जो आज भी विद्यमान हैं।

राज्य, राष्ट्रीय राजनीति की आधारषिलाएँ है। भारतीय संघ में सभी राज्यों में एक ही संविधान और समान कानूनी तथा राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना के बावजूद प्रत्येक राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वहाँ के सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे के सन्दर्भ में अलग-अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ और दिशाएँ पाई जाती हैं। देश में अपनायी गयी विकास की प्रक्रिया की सफलता भी सभी राज्यों में एक समान नहीं है। वास्तव में राजनीतिक जागरूकता तथा विकास के लाभों का बंटवारा ऐच्छिक ढंग से

नहीं हो पाया है साथ ही उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाये जाने के बाद से राज्यों में विकास के लाभों का वितरण असमान रहा है, और उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच असमानता की खाई चौड़ी हुई है।

वस्तुतः राज्यों की राजनीति एक जटिल आर्थिक, सामाजिक पहचानगत एवं राजनीतिक दृष्टिघटना है जो कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है जैसे- केन्द्र-राज्य संबंधों की एक अभिव्यक्ति के रूप में, आंतरिक उपनिवेशवाद के एक परिणाम के रूप में, राजनीति एकीकरण की प्रक्रिया के एक पूरक के रूप में, चुनावी राजनीति के अत्यावश्यक तत्वों के एक उत्पाद के रूप में तथा एक उदारीकृत होती अर्थव्यवस्था में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, निवेश तथा विष्व बाजार में पहुंच बढ़ाने के सन्दर्भ में। आज राज्य की राजनीति में आर्थिक विकास और सुशासन प्रमुख मुद्दे हैं।

### राज्यों की राजनीति की प्रवृत्तियाँ

भारत की राजनीति में यह स्वीकार किया गया है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है तथा आपसी बातचीत से राज्यों की यथोचित मांगों का समाधान निकाला जा सकता है। क्षेत्रीय स्वायत्ता ने लोकतंत्र की जीवनी शक्ति को बढ़ाया है, और यह मान्यता विकसित हुई है कि मजबूत आत्मनिर्भर राज्य ही एक समृद्ध और एकजूट भारत का निर्माण कर सकते हैं।

आज राज्यों में नई प्रवृत्तियों का उभार देश की सबसे अहम राजनैतिक परिघटना है। जो राज्य मिल कर भारत को एक संघीय आकार देते हैं, वे अपने आप में एक मुल्क होने की हैसियत रखते हैं। अतीत में वे अलग-अलग देश जैसे ही थे। जैसा कि मायरन वीनर ने कहा "प्रत्येक राज्य एक बड़ी व्यवस्था (भारत) का भाग है। फिर भी हर एक का अपना निश्चित अस्तित्व है, इसलिए प्रत्येक राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया का विप्लेषण किया जा सकता है जिसका संबंध सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा सरकार की कार्यक्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है।

भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विकास कार्यक्रमों को किस गतिशीलता के साथ क्रियान्वित कर पाते हैं। चाहे वह भूमि सुधार हो या, निवेश के लिए अनुकूल माहौल या ओद्योगीकरण या फिर कृषि क आधुनिकीकरण का मामला हो। जनसाधारण की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों द्वारा ही सम्पादित किया जाता है।

राज्य राजनीति के निर्धारक तत्व – डॉ० इकबाल नरायण ने अपनी कृति- 'स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया' में भारतीय राजनीति के निम्न निर्धारकों का उल्लेख किया है।


1. संस्थानात्मक एवं संवैधानिक तत्व
2. राजनीति के संरचनात्मक स्तर
3. सामाजिक आर्थिक तत्व
4. भौगोलिक तत्व

## उभरती प्रवृत्तियाँ— पहला

राज्यों के राजनैतिक और आर्थिक तौर पर मुक्त होने की शुरुआत 1980 के दशक में कांग्रेस के कमजोर होने के साथ हुई। 1980 के दशक में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की हार का मुंह देखना पड़ा और केन्द्र में कमजोर सरकार बनी। फिर केन्द्र में राज्यों को अपने मन की करने की छूट देने का रुझान पैदा हुआ। 1996 के बाद केन्द्र में गठबंधन सरकारों के दौर में मुख्यमंत्रियों को अधिक ताकत मिल गई और नई आर्थिक नीति और निवेश की बढ़ती आकांक्षाओं के कारण वे अपने कामकाज में अधिक स्वायत्त हो गए।

1991 के बाद से उदारिकरण की नीति के बाद से देश के आर्थिक ढाँचे में मूलगामी बदलाव आए हैं। जिससे निजी क्षेत्रों की भूमिका में बढ़ोत्तरी हुई और प्रगति का पहिया राज्यों की ओर झुक गया, ठीक उसी दौर में संघीय ढाँचे पर जोर बढ़ा और उसे और अधिक सहकारी बनाने का प्रयास शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अपने राज्यों में विकास की राह तय करने के मामले में अधिक ताकतवर और निर्णायक बन गए। कुल टैक्स संग्रहण और खर्च में राज्यों की बढ़ती हिस्सेदारी से इस बदलते सत्ता केन्द्र को समझा जा सकता है। यह उन मुख्यमंत्रियों की कोषिषों से भी जाहिर होता है, जो नए बदलाव के प्रतीक बने हैं। मसलन सुधारों और विकास के स्तर को परखने के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार का फोकस राज्यों के विकास के लिए केन्द्र से नई पहल को लेकर है।

## कुल खर्च में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भागीदारी



### दूसरा

राज्यों में नए प्रकार के राजनीतिक उभार से भारतीय राज्य पहले से अधिक समावेशी हो रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकाकार हो चुके आज का भारत संसदीय गठजोड़ और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों का एक साथ मिलकर काम करना जो एक बेहद जटिल काम है राज्यों की राजनीति में आई परिपक्वता का संकेत है। अब उपर से नीचे नीतियों के प्रवाह का पुराना तरीका काम करता नहीं दिखता। नेतृत्व के लिए दूसरों

को सुनना और उन्हें भागीदारी बनाना आवश्यक हो गया है। भारत का यही सच है कि क्षेत्रीय दक्ष एक ओर तो दिल्ली में भारत के राज्यों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरी ओर वैश्वीकरण के युग में स्थानीय नियंत्रण नागरिकों पर सीधा असर डालता है। इसलिए किसी भी सरकार या नेतृत्व के लिए चुनौति है कि वह देश के लिए एक स्पष्ट नजरिया निर्मित करते हुए राज्य के नेताओं के साथ मिलकर काम करें और राज्य के सभी प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर चलें।

तालिका 1		
13 वें व 14 वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को करों का अंतरण		
परिवर्तनीय कारक	प्रदत्त भारांश	
	13 वाँ	14 वाँ
जनसंख्या (1971)	25	17.5
जनसंख्या 2011	0	10
राजकोषीय क्षमता/आय वितरण	47.5	50
क्षेत्रफल	10	15
वन क्षेत्र	0	7.0
राजकोषीय अनुपासन	17.5	0

स्रोत 14 वाँ वित्त आयोग (आर्थिक समीक्षा 2014-15) अध्याय 10

### तीसरा

हाल के वर्षों में राज्यों की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, कि विदेश नीति से जुड़े मामले में भी राज्यों की भी कुछ अहमियत है। जैसे तमिलनाडु आमतौर पर सिंगापुर, मलेषिया, इंडोनेषिया की ओर देखता है, खास तौर पर श्रीलंका उसके विशेष जेहन में है। श्रीलंका में तमिलों के प्रति तमिलनाडु बेहद संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश नीति एवं वहाँ रह रहे बंगाली जनता के प्रति लगाव। मुंबई की चिन्ता, होर्मुज जल से आने वाला व्यापार और अफ्रीका के पश्चिम तट के रास्ते हो रही समुद्री डकैती है तो गुजरात को मध्य पूर्व के तेल का फ्रिक है। जबकि जम्मू और कश्मीर का ध्यान पाकिस्तान पर होता है।

कुछ घरेलू मुद्दे एवं बाध्यताएं हैं जो भारत के वैश्विक दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें भी बाकी दुनिया भारत को किस नजरिए से देखती है। जैसे – आतंकवाद निरोधक नीतियां, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अभिषमन की रणनीतियाँ,

विदेशी निवेश से जुड़े कारक, उर्जा क्षेत्र से जुड़ी नीतियाँ खासकर, परमाणु उर्जा और नवीकरणीय उर्जा आदि। इसमें कुछ विषिष्ट घरेलू मामले भी हैं जैसे बुनियादी ढाँचा या वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) या फिर 'मेक इन इण्डिया' है। जो विदेशी निवेश की रफ्तार को बढ़ाने की गुंजाइश रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत के राज्य और राज्य स्तर के नेता उस नजरिए को गढ़ रहे हैं जिसे लेकर भारत बाकी दुनिया में जाता है।

**चौथा :** राज्यों में कई प्रकार की प्रगतिगामी योजनाओं से यह दलील खोखला साबित हुआ है कि राज्यों में सही सोच की क्यूवत नहीं है। मिड डे मील योजना, जिस स्कूलों में दाखिले और साक्षरता दर को बढ़ावा मिला, उसे सबसे पहले तमिलनाडु में एम0 जी0 रामचन्द्रन ने लागू किया था, दुग्ध क्रांति का खाका गुजरात में 1954 में वर्जीज कुरियन ने तैयार किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का स्रोत महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना है। सूचना का अधिकार राजस्थान की देन है। ग्रामीण सड़क परियोजना महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित जिलों को

आपस में जोड़ने के एक कार्यक्रम से निकली है। 'सेवा का अधिकार' गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश और बिहार की देन है। या फिर भूमि अधिग्रहण करने का उत्तर प्रदेश का नया तरीका। इससे प्रतीत होता है कि राज्यों ने सुशासन के लिए नये मानक स्थापित किये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासनिक सुधार के लाभ मौलिक और ऐतिहासिक नुस्खे राज्यों की देन है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कुछ बदलाव अवश्य हुए हैं, हालांकि वे कमतर हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्या को राजस्व का अधिक हिस्सा देने की बात कही है। तथा केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या को घटाने पर भी सहमति बनी है। संघवाद अब राजनैतिक विमर्ष में वापस आ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्सर टीम इंडिया की अवधारणा रखी है। बी0 आर0 अम्बेडकर की यह उक्ति अब अधिक प्रासंगिक हो गई है कि केन्द्र और राज्य दोनो संविधान निर्मित हैं, कोई भी दूसरे से किसी भी क्षेत्र में दायम नहीं है और दोनों के नियंता को एक दूसरे के साथ समन्वय करने की जरूरत है।

आजादी के बाद से भारत की आबादी एक अरब बढ़ी है। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों में ही प्रगति की महत्वाकांक्षा है। इसलिए एक नए प्रकार का सहयोग एवं समावेशी प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है।

आज जरूरत है एक ऐसे तंत्र विकसित करने की है जो लोगों को उनकी जरूरत की मुताबिक सेवाएं दे सके। तथा आजादी के लगभग 70 वर्ष बाद भी देश में असमानताओं को दूर करने अलग-अलग परिस्थितियों में विकास की प्रक्रिया में तरीकों और उनकी सफलताओं को समझने के लिए यह जरूरी है कि राज्यों में होने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं का वहाँ के विषिष्ट सामाजिक आर्थिक ढाँचे से संबंध के साथ-साथ विकास की गतिविधियों के साथ पारस्परिक प्रभाव का विप्लेषण किया जाए। यह विप्लेषण भविष्य में

अपनाई जाने वाली नीतियों को दिशा देने के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। यही राज्यों की राजनीति के अध्ययन का लाभ और लक्ष्य है।

### सन्दर्भ

- विलियम एंथोलिस का आलेख, राज्यों के ठाठ वाली राजनीति, इंडिया टुडे 25 अप्रैल पृष्ठ 12
- रहीस सिंह का आलेख सहयोगी व प्रतिस्पर्धी संघवाद की मिली राह रहीस सिंह, योजना मार्च – 2015, पृष्ठ 17–21
- मिनी कपूर, राज्यों के सुधार इंडिया टुडे 8 अक्टूबर 2014, पृष्ठ 36–37
- शंकर अय्यर का आलेख, 'केन्द्र बनाम राज्य' इंडिया टुडे 23 सितम्बर 2015, पृष्ठ 168–170
- चौदहवाँ वित्त आयोग – 'भारत में राजकोषीय संघवाद के लिए निहितार्थ' – आर्थिक समीक्षा 2014–15 वित्त मंत्रालय भारत सरकार, पृष्ठ 130–135
- इकबाल नरायाण, टिबलाइट और डॉवन : पॉलिटिकल चेन्ज इन इण्डिया, 1967–17, पृष्ठ 94
- विपिन चन्द्र (संपादित) – आजादी के बाद भारत 1947–2000 हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 2002, पृष्ठ 394–396
- मायरन वीनर स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया प्रिस्टन पब्लिकेशन 1986, पृष्ठ 6–9
- इण्डिया टुडे – 20 अगस्त 2007 नई दिल्ली, पृष्ठ 63–64

➤ रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इण्डिया,

ओरिएंट लांगमैन दिल्ली 1977, पृष्ठ 25

---

Copyright © 2016 Dr. Jitendra Kumar Pandey. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.